



Neutral Citation No. - 2026:AHC:26282

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 1907/2026

विशाल

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अजय कुमार पाण्डेय, जयदीप त्रिपाठी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : अचल सिंह, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसे वाद संख्या-4586/2023, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या-T202307190104586 (गांव सभा बनाम विशाल) के रूप में पंजीकृत किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा दिनांक 30.05.2025 के आदेश के माध्यम से इसे स्वीकार कर लिया गया था। उपर्युक्त आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को बेदखल कर दिया गया था।
2. उपर्युक्त आदेश से व्यथित होकर, धारा 67(5) के तहत वैधानिक अपील दायर की गई थी, जिसे वाद संख्या-362/2025, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या-D202507190000362 (विशाल बनाम भूमि प्रबंधन समिति) के रूप में पंजीकृत किया गया था। उक्त अपील को जिलाधिकारी (न्यायिक), चित्रकूट द्वारा 27.09.2025 को खारिज कर दिया गया था।
3. विभिन्न अन्य तर्कों के अलावा, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा एक तर्क यह दिया गया है कि उपर्युक्त आदेश ऋषिपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2023 (1) एडीजे 154 में रिपोर्ट किए गए मामले के पैरा-74 में निर्धारित प्रक्रिया के पूर्ण उल्लंघन में पारित किए गए थे, इसलिए वे निरस्त किए जाने योग्य हैं।
4. इस तथ्य को प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया है।
5. इसे देखते हुए, चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 3- सहायक कलक्टर/तहसीलदार, तहसील-कर्वी, जनपद चित्रकूट द्वारा वाद संख्या-4586/2023, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या-T202307190104586 (गांव सभा बनाम विशाल) में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत पारित आदेश दिनांक 30.05.2025 और साथ ही कलक्टर/जिलाधिकारी, चित्रकूट द्वारा वाद संख्या-362/2025, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या-D202507190000362 (विशाल बनाम भूमि प्रबंधन समिति) में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के तहत पारित आदेश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



दिनांक 27.09.2025 ऋषिपाल सिंह (उपर्युक्त) के मामले में निर्धारित प्रक्रिया के पूर्ण उल्लंघन में पारित किए गए थे, अतः वे निरस्त किए जाने योग्य हैं और एतद्वारा रद्द किए जाते हैं।

6. रिट याचिका स्वीकार की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।
7. प्रत्यर्थी संख्या 3/सहायक कलक्टर/तहसीलदार, तहसील-कर्वी, जनपद चित्रकूट को निर्देशित किया जाता है कि वे ऋषिपाल सिंह (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02.12.2022 के निर्णय एवं आदेश के पैराग्राफ-74 में की गई टिप्पणियों के आलोक में, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से चार महीने की अवधि के भीतर शीघ्रता से नया आदेश पारित करें।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

फरवरी 6, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"